

सहस्रवर्षी महानगरपालिका - शिक्षण विभाग
सर्व शिक्षा अभियान

संख्या: सशिअ/देखभाल/दुरुस्ती/2013-14/1940 दि.16.05.2013
दि. 4/5/13

पुणे,
विस्तार अधिकारी,
शहर साधन केंद्र क. 1 ते 12

परिषदक

विषय : सन 2013-14 अंतर्गत देखभाल दुरुस्ती अनुदान निधी विनियोगाबाबत मार्गदर्शक सूचना.

संदर्भ : सशिशिअ/सशिअ/देखभाल/दुरुस्ती/2013-14/1940 दि.16.05.2013.

- (1) निकषानुसार पात्र शाळेत 3 किंवा कमी वर्गखोल्या अंतर्गत कमाल अनुदान रु.5000/-.
- (2) जिल्हासाठी सरासरी प्रत्येक शाळेसाठी रु.7500/- चे मर्यादा.
- (3) इ.1ली ते 7वी शाळा असल्यास इ.1ली ते 4रजे (5वा) खोली रु.5000 ते 7वा (उच्च प्राथ.) अशी दोन स्वतंत्र शाळा समजाव्यात.
- (4) शाळासमिती / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वतःच्या मर्यादी असलेल्या शाळा आणि भूतकाळाच्या शाळा यांनाच सदर अनुदान देण्यात यावे.
- (5) या अनुदानाचे वितरण हे शाळा संस्थेनुसार व करताना शाळासमितीत प्रत्यक्ष सगळ्या वर्गखोल्यांच्या संख्येनुसार करण्यात यावे.
- (6) वर्गखोल्यांची संख्या गृहीत धरताना वर्गखोल्यांना प्रत्यक्ष अध्ययन शक्यतापत्रासाठी उपयोगात आणत असलेल्या वर्गखोल्यांची संख्या विचारात घेऊन (सु. व्याख्यापत्रांची खोली, स्वयंपाकगृह, ग्रंथालय खोली, शिक्षक कक्षा, संगणक कक्षासाठीच्या खोल्या वगैरे) या अनुदानाचे वितरण करण्यात यावे.
- (7) सदरचे अनुदान हे संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा करण्यात यावे.
- (8) शाळा व्यवस्थापन समितीकडे निधी पोहोच झालेक्या दिनांकाची नोंद असणे आवश्यक आहे.
- (9) सदरचा निधी खर्च करण्यापूर्वी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळेची गरज ओळखून नियोजन (तयारी) करावे व सदर निधीचा उपयोग कोटेशनाने करावा.
- (10) सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत देखभाल दुरुस्ती अनुदानाचा उपयोग शाळेच्या अंतर्गत व बाहेरगत तसेच शाळेभोवतालचा परिसर व शाळेच्या किर्कोट दुरुस्ती कमी करण्यात यावा.
- (11) देखभाल दुरुस्ती अनुदानातून स्वच्छतागृहे बांधण्यात करावे, संगणकाची किर्कोट दुरुस्ती करणे, वीज बिल भरणा करणे, वीजेची उपकरणे इ. कामे करावीत.
- (12) सदर अनुदान विनियोग झाल्यानंतर वित्तीय वर्ष संपण्यापूर्वी (31/03/2014) उपयोगात आणण्याचे संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने विस्तार अधिकारी-यांकडे सादर करावी.

- (3) कालबाह्य न झालेल्या आवश्यक औषधांसाठी प्रथमोपचार पेटी उपलब्धता देणे.
- (4) शाळेतील प्रदर्शन फलकावर (display board) आवश्यक माहिती उपलब्धता देणे. (उदा. गटल व्यवस्थापन समिती बैठकीच्या नियोजित तारखा प्राप्त झाली. गटल व्यवस्थापन समितीचे निर्णय पटनोंदणी इ.)
- (5) शाळेच्या इमारतीच्या काही भागांचे रूपांतर उपयुक्ततेचे साधन म्हणून होईल अशा बाबी रचना करणे. उदा.
 1. फर्निचरला घडनाचे स्टिकर चिपकविणे.
 2. उंची मापक प्रत्येक वर्गात / व्हॉलच्यात लावणे.
 3. बाकावर मीटर स्केल आखणे.
 4. सापाशिडी सारखी बॅचे नोट फरशीवर जोडलेल्या कायम स्वरुपी आखणे.
- (6) बड्याळ, रक्तो, इतर शैक्षणिक साहित्य मुलांच्या टोक्याच्या पातळीवर लावणे.
- (7) विषय कोपरे नव्याने तयार करणे / सक्रीय करणे, शोध कोपरा सुरु करणे
- (8) मुलांच्या मुबत अभिव्यक्तीसाठी फलक / इतर व्यवस्था.
- (9) शाळेच्या कामकाज, अध्ययन, शाळेबाहेर इतर अपेक्षा पाधिवरी विद्यार्थ्यांसाठी अभिप्राय पेटी ठेवणे.

PSS
सहा. कार्यवाही अधिकारी (स.शि.अ.)

[Signature]
उपनिष्ठाणाधिकारी (निष्ठा/सशिअ)

[Signature]
अधिका (प) म. न. पा. माध्यमिक
इंगजी शाळा
अधिका (प) मु. नं. ४०० ०५८.

प्रत कार्यवाहीसाठी
सर्व आधिक मुरुयाद्यालक
म न पा. शाळा

कार्य करण्याची पध्दती खालीलप्रमाणे आहेत. (SOP - Standard Operating Procedure).

| दुरुस्ती / कायद्याचे बंधन / समूहचे नाव | अदखल घेणे | अदखल घेणे | | K.16007 - वेगळ्या प्रकारचे अडथळे/दुरुस्ती करणेसाठी घडणे | S.M.C घडणे | घडलेले प्रकरणे/कायद्याची | वेळ |
|--|-----------|----------------------------|----------------------------|---|------------|--------------------------|-----|
| | | K.16007 - वेगळ्या प्रकारचे | K.16007 - वेगळ्या प्रकारचे | | | | |
| सायबाने दुरुस्ती | | | | | | | |
| दरवाजे / बॅचेस दुरुस्ती | | | | | | | |
| प्लास्टर | | | | | | | |
| स्वच्छतागृह | | | | | | | |
| नळ दुरुस्ती | | | | | | | |
| इलेक्ट्रिक दुरुस्ती व साधने | | | | | | | |
| संगणक दुरुस्ती | | | | | | | |
| कुपना/सरकाकभित्त | | | | | | | |
| दरवाजे/खिडक्या रंगकाम | | | | | | | |
| खट्ट/फळा | | | | | | | |
| भिंतीतील कापटे | | | | | | | |
| उजेड हवेकरिता | | | | | | | |
| व्हेंटिलेटर्सची सोय | | | | | | | |
| उतरता रस्ता | | | | | | | |
| फिरकोळ बदल | | | | | | | |
| अध्ययन कोपरा | | | | | | | |
| इस्टबिन (कच-वाची टोपली) | | | | | | | |
| हात धुण्यासाठी साबण | | | | | | | |
| प्रथमोपचार पेटो | | | | | | | |
| बालस्नेही अंतर्गत सुचविलेले उपक्रम | | | | | | | |
| दुरुस्ती नसल्यास | | | | | | | |
| घसरगुडी, झोपाळा | | | | | | | |
| द. घस्तुंची खरेदी | | | | | | | |
| फ्लॉवर ब्रेड तयार करणे | | | | | | | |
| शाळेचे अंतरंग व बाह्यरंग सजवणे | | | | | | | |

NIL

शिक्षण हक्क कायद्याच्या परिपूर्तीसाठी आवश्यकतेनुसार खालील कार्यवाही देखभाल दुरुस्ती अनुदानातून करण्यात यावी.

- (1) प्रत्येक वर्गात कच-याच्या टोपलीची उपलब्धता व तिचा नियमित वापर.
- (2) स्वच्छतागृहांमध्ये हात धुण्यासाठी पाणी व साबण यांची व्यवस्था ठेवणे